

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 12 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹ 379.20 लाख SC घटक में एवं ₹44.00 लाख ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन की स्वीकृति।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

राज्य के 12 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्रांक-N-I-14011/19/2018-HFA-V-UD(Comp. No. 9047670) दिनांक-15.02.2019 द्वारा ₹1137.60 लाख SC घटक में, ₹178.20 लाख ST घटक में एवं ₹1488.797 लाख Other than SC&ST घटक में सीधे बैंक खाते में अंतरित की गई है। उक्त राशि के अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी बजट शीर्ष से कोषागार के माध्यम से की जानी है। स्वीकृत्यादेश सं0-153 दिनांक-131-3114 के आलोक में उपलब्ध बजट उपबंध के अनुरूप तत्काल 12 नगर निकायों में योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 06 में अंकित ₹379.20 लाख SC घटक में एवं स्तम्भ 07 में अंकित ₹44.00 लाख ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बजट उपबंध प्राप्त होने पर Other than SC&ST घटक में ₹496.26 लाख एवं ST घटक में ₹15.40 लाख की अवशेष राशि की निकासी की जाएगी।

(राशि लाख रू में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवासीय ईकाई	SC मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	ST मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	SC मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि।	ST मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि।
1	2	3	4	5	6	7
1	Amarpur Phase - II	148	15.00	0.00	5.00	0.00
2	Balia Phase - III	759	82.20	0.60	27.40	0.20
3	Fatuha Phase - II	122	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Katihar Phase - II	3446	210.60	94.20	70.20	16.00
5	kishanganj Phase - II	5637	308.40	62.40	102.80	20.80
6	Naughachiya Phase - II	344	6.00	0.00	2.00	0.00
7	Nokha Phase - II	280	59.40	0.00	19.80	0.00
8	Parsa Bazar Phase - II	1208	115.80	13.20	38.60	4.40
9	Rivilganj Phase - II	1035	64.20	7.80	21.40	2.60
10	Simri Bakhtiyarpur Phase - II	962	67.20	0.00	22.40	0.00
11	Kanti Phase - II	1717	208.80	0.00	69.60	0.00
12	Hisua Phase - III	266	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	15924	1137.60	178.20	379.20	44.00

2. स्वीकृत राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, तदोपरांत आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों को RTGS के माध्यम से राशि अंतरित किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-7085 दिनांक-19.09.2018, पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 एवं पत्रांक-868 दिनांक-10.12.18 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. (i) स्वीकृत राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹379.20 लाख रू0 (तीन करोड़ उन्नासी लाख बीस हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217037890305, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष-0305.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष राशि 2067.53 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
- (ii) स्वीकृत राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹18.80 लाख (अठारह लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217017960301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष-0301.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष राशि 18.80 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
- (iii) स्वीकृत राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹25.20 लाख (पच्चीस लाख बीस हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना, उप शीर्ष-0303- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217037960303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष-0303.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष राशि 25.20 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग के पत्रांक-378 दिनांक-16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

दिनांक-

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

113

दिनांक-13/03/19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 12 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹ 379.20 लाख SC घटक में एवं ₹44.00 लाख ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

राज्य के 12 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्रांक-N-I-14011/19/2018-HFA-V-UD(Comp. No. 9047670) दिनांक-15.02.2019 द्वारा ₹1137.60 लाख SC घटक में, ₹178.20 लाख ST घटक में एवं ₹1488.797 लाख Other than SC&ST घटक में सीधे बैंक खाते में अंतरित की गई है। उक्त राशि के अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी बजट शीर्ष से कोषागार के माध्यम से की जानी है। तदनुसार उपलब्ध बजट उपबंध के अनुरूप तत्काल 12 नगर निकायों में योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 06 में अंकित ₹379.20 लाख SC घटक में एवं स्तम्भ 07 में अंकित ₹44.00 लाख ST घटक में अर्थात् कुल राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बजट उपबंध प्राप्त होने पर Other than SC&ST घटक में ₹496.26 लाख एवं ST घटक में ₹15.40 लाख की अवशेष राशि की निकासी की जाएगी।

(राशि लाख रु में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवासीय ईकाई	SC मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	ST मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	SC मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि।	ST मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि।
1	2	3	4	5	6	7
1	Amarpur Phase - II	148	15.00	0.00	5.00	0.00
2	Balia Phase - III	759	82.20	0.60	27.40	0.20
3	Fatuha Phase - II	122	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Katihar Phase - II	3446	210.60	94.20	70.20	16.00
5	kishanganj Phase - II	5637	308.40	62.40	102.80	20.80
6	Naughachiya Phase - II	344	6.00	0.00	2.00	0.00
7	Nokha Phase - II	280	59.40	0.00	19.80	0.00
8	Parsa Bazar Phase - II	1208	115.80	13.20	38.60	4.40
9	Rivilganj Phase - II	1035	64.20	7.80	21.40	2.60
10	Simri Bakhtiyarpur Phase - II	962	67.20	0.00	22.40	0.00
11	Kanti Phase - II	1717	208.80	0.00	69.60	0.00
12	Hisua Phase - III	266	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	15924	1137.60	178.20	379.20	44.00

2. स्वीकृत राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा। तदोपरांत आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों को RTGS के माध्यम से राशि अंतरित किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-7085 दिनांक-19.09.2018, पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 एवं पत्रांक-868 दिनांक-10.12.18 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. (i) स्वीकृत राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹379.20 लाख रू0 (तीन करोड़ उन्नासी लाख बीस हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217037890305, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष-0305.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष राशि 2067.53 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
(ii) स्वीकृत राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹18.80 लाख (अठारह लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217017960301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष-0301.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष राशि 18.80 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
(iii) स्वीकृत राशि ₹423.20 लाख (चार करोड़ तेईस लाख बीस हजार रू0 मात्र) में से ₹25.20 लाख (पच्चीस लाख बीस हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना, उप शीर्ष-0303- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217037960303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1989, विषय शीर्ष-0303.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित अवशेष राशि 25.20 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग के पत्रांक-378 दिनांक-16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ०-124/टि० पर दिनांक-13.03.19 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-126/टि० पर दिनांक-13.03.19 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

153

दिनांक-13/03/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।